[2019] 1 उम. नि. प. 159

महानिदेशक, के. रि. पु. ब. और अन्य

बनाम

जनार्दन सिंह और अन्य

2 जुलाई, 2018

न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति अशोक भूषण

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 14 [सपठित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18] – विधि के समक्ष समता – पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात और सेवारत कार्मिकों को विशेष कार्य भत्ता अनुदत्त किया जाना – जब विशेष कार्य भत्ता अनुदत्त करने का प्रयोजन पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्मिकों को प्रोत्साहित और प्रतिधारित करना था तब ऐसे कार्मिकों को, जो कि यद्यपि पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात और सेवारत हैं किन्तु उनके मुख्यालय पूर्वोत्तर क्षेत्र से बाहर हैं, विशेष (कार्य) भत्ता प्रदान करने के फायदे से इनकार करना मनमाना और विभेदकारी होगा ।

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 14 [सपठित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18] – विशेष कार्य भत्ता – के. रि. पु. ब. के ऐसे कार्मिकों को, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात और सेवारत तो हैं किन्तु उनके मुख्यालय पूर्वोत्तर क्षेत्र से बाहर हैं, विशेष कार्य भत्ता न दिया जाना – सरकार द्वारा, के. रि. पु. ब. के ऐसे सभी कार्मिकों को, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात और सेवारत हैं, इस तथ्य के बावजूद कि उनके मुख्यालय पूर्वोत्तर क्षेत्र के भीतर हैं अथवा नहीं, विशेष कार्य भत्ता अनुदत्त करते हुए जारी किए गए स्पष्टीकारक आदेश के आधार पर वे कार्मिक पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तैनाती की तारीख से न कि स्पष्टीकारक आदेश जारी किए जाने की तारीख से विशेष कार्य भत्ता पाने के हकदार होंगे ।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने तारीख 14 दिसम्बर, 1983 के अपने कार्यालय ज्ञापन द्वारा देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सेवारत अधिकारियों को कतिपय फायदे प्रदान करने का विनिश्चय किया था । उन फायदों में से एक फायदा पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसी स्टेशन पर उनकी तैनाती होने पर विशेष

(कार्य) भत्ता देना था । उक्त फायदे बाद में के. रि. पु. ब. के कर्मचारियों को भी प्रदान किए गए थे । प्रत्यर्थी सं. 2, 3 और 4 को भिन्न-भिन्न तारीखों को के. रि. पु. ब. में फार्मासिस्ट (भेषजज्ञ) के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें भारत में भिन्न-भिन्न स्थानों पर, जिसके अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र भी है, तैनात किया गया था । भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा तारीख 31 मार्च, 1987 का एक पत्र जारी किया गया था, जिसके अनुसार तारीख 29 अक्तूबर, 1986 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित तारीख 28 दिसम्बर, 1983 के कार्यालय ज्ञापन का फायदा पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात और सेवारत सीमा सुरक्षा बल, के. रि. पु. ब. और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के उन कार्मिकों को दिया जाना है जिनका मुख्यालय उसी क्षेत्र में है । प्रत्यर्थियों ने विशेष (कार्य) भत्ता मंजूर करने के संबंध में एक आवेदन प्रस्तुत किया । उसके अभ्यावेदन के उत्तर में यह कथन किया गया था कि चूंकि इस कार्मिक का मुख्यालय शिवपुरी/ग्वालियर में है इसलिए वह व्यक्ति विशेष (कार्य) भत्ते का हकदार नहीं है । पुलिस उप-महानिरीक्षक का पत्र कमांडेंट, के. रि. पु. ब. को भेजा गया था, जिसमें यह सूचित किया गया था कि हालांकि महानिदेशक ने अपने तारीख 12 मार्च, 1992 के पत्र द्वारा गृह मंत्रालय को यह प्रस्ताव भेजा है कि विशेष (कार्य) भत्ता ऐसे सभी बटालियनों को दिया जाना चाहिए जिनके मुख्यालय पूर्वोत्तर क्षेत्र में नहीं हैं किन्तु बटालियन पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात है । इसके आगे यह कथन किया गया था कि गृह मंत्रालय की सहमति अभी प्राप्त नहीं हुई है । इस आदेश में यह स्पष्ट किया गया था कि यह भत्ता ऐसे कार्मिकों को अनुज्ञेय होगा जो वास्तव में पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्य कर रहे थे । प्रत्यर्थियों ने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष मूल आवेदन फाइल किया जिसमें तारीख 14 दिसम्बर, 1983 के आदेश के अनुसार विशेष (कार्य) भत्ता अनुदत्त करने का दावा किया गया । केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने आवेदकों को उस अवधि के लिए, जिसके दौरान उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र में वास्तव में कार्य किया था, विशेष (कार्य) भत्ता मंजूर करने का निदेश दिया । अपीलार्थी ने, अधिकरण के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका फाइल की जो कि खारिज कर दी गई थी, जिस आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील फाइल की गई है । इस अपील में मुद्दा एक बहुत सीमित मुद्दा है, अर्थात्, क्या प्रत्यर्थी उस अवधि के लिए जिसके दौरान वे पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात थे, पूर्वोत्तर क्षेत्र में उनकी तैनाती की तारीख से या केवल 3 अगस्त, 2005 से जब कि भारत सरकार द्वारा वह कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था जिसके द्वारा के. रि. पु. ब. के कार्मिकों का दावा मंजूर किया गया था, विशेष

(कार्य) भत्ता प्राप्त करने के हकदार थे । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – जब विशेष (कार्य) भत्ता अनुदत्त करने का आधार पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनाती था तो उन प्रत्यर्थियों को, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात थे, विशेष (कार्य) भत्ता देने से इस आधार पर कैसे इनकार किया गया होगा कि उनके मुख्यालय शिवपुरी/ग्वालियर में हैं । यह फायदा पूर्वोत्तर क्षेत्र में उनकी तैनाती से जुड़ा है और इस आधार पर कि उनके मुख्यालय शिवपुरी/ग्वालियर में हैं, उस फायदे से इनकार करने का उनके दावे से कोई संबंध नहीं है । पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात और सेवारत ऊपर यथा-उल्लिखित दो वर्गों के कर्मचारियों के बीच कोई सुग्राह्य अंतर नहीं है । विधि संबंधी नीति से, जैसा कि तारीख 14 दिसम्बर, 1983 के मूल सरकारी आदेश से स्पष्ट है, यह स्पष्ट होता है कि सरकार, पूर्वोत्तर क्षेत्र में अधिकारियों को प्रोत्साहित और आकर्षित करने तथा उनकी सेवाओं को प्रतिधारित करने के उद्देश्य और प्रयोजन से विशेष (कार्य) भत्ता स्कीम लाई थी । दो प्रवर्गों के कर्मचारियों, अर्थात् (i) जिनके मुख्यालय पूर्वोत्तर क्षेत्र के भीतर हैं और (ii) जिनके मुख्यालय पूर्वोत्तर क्षेत्र के बाहर हैं, के बीच प्रभेद करने से स्पष्टतः यह उपदर्शित होता है कि यह वर्गीकरण किसी सुग्राह्य अंतर पर आधारित नहीं है । इस अंतर का उस उद्देश्य से कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है जिसे पूरा करने की ईप्सा की गई है । जब प्रयोजन पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्मिकों को प्रोत्साहित और प्रतिधारित करना है तब ऐसे व्यक्तियों को, जो कि यद्यपि पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात और सेवारत हैं तथापि, उनका मुख्यालय पूर्वोत्तर क्षेत्र से बाहर है, विशेष (कार्य) भत्ता प्रदान करने के फायदे से इनकार करने का उस उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है, जिसे पूरा करने की ईप्सा की गई है । (पैरा 14, 20 और 21)

तारीख 31 मार्च, 1987 के सरकारी आदेश में किया गया वर्गीकरण ऊपर उल्लिखित दोहरी कसौटी पर खरा नहीं उतरता है । सरकार ने स्वयं इस गलती को महसूस करते हुए उसमें तारीख 3 अगस्त, 2005 के सरकारी आदेश द्वारा सुधार कर दिया है और उन सभी कार्मिकों को, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात और सेवारत हैं, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि उनके मुख्यालय पूर्वोत्तर क्षेत्र के भीतर हैं या पूर्वोत्तर क्षेत्र के बाहर हैं, विशेष (कार्य) भत्ता अनुज्ञात किया है । जब कि तारीख 31 मार्च, 1987 के सरकारी आदेश द्वारा यथा-परिकल्पित पूर्ववर्ती वर्गीकरण उन कार्मिकों को, जो कि विशेष (कार्य) भत्ते के हकदार थे, इस आधार पर फायदा देने से इनकार करने के लिए विधिमान्य नहीं है कि सरकार ने केवल 3 अगस्त,

2005 को उसका स्पष्टीकरण किया है, तब वह न तो साम्यापूर्ण होगा और न ही विधि के समक्ष समानता की कसौटी पर खरा उतरेगा । जबकि फायदे से इनकार करना विधिमान्य वर्गीकरण की दोहरी कसौटी पर खरा नहीं उतरता था और असांविधानिक था तब इस आधार पर उक्त फायदे से इनकार करना कि सरकार ने अपनी गलती को केवल तारीख 3 अगस्त, 2005 को सुधारा है, इसलिए यह फायदा केवल 3 अगस्त, 2005 से ही दिया जाना चाहिए, तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है । (पैरा 22, 23 और 24)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[1970] [1970] 2 उम. नि. प. 460 = ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 1453 : **हरकचन्द रतनचन्द बान्थिया और अन्य** बनाम **भारत संघ और अन्य** ; 19

[1955] ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 191 : **बुधन चौधरी** बनाम **बिहार राज्य** । 18

सिविल अपीली अधिकारिता : 2011 की सिविल अपील सं. 5850.

2008 की सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका सं. 8608 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तारीख 14 फरवरी, 2008 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री विक्रमजीत बनर्जी, अपर महासालिसिटर, किरण भारद्वाज, शैलेन्द्र सैनी, आयुष आनंद, शुबंधु आनन्द और सुश्री सुषमा सूरी

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री यतीश मोहन, सुमित कुमार झा और सुभाष चन्द्र सागर (ई. सी. विद्यासागर की ओर से)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने दिया ।

न्या. भूषण – महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत संघ और अपर-महानिदेशक, समूह केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तारीख 14 फरवरी, 2008 के उस निर्णय को प्रश्नगत करते हुए यह अपील फाइल की है, जिस निर्णय द्वारा उच्च

न्यायालय ने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के तारीख 5 नवम्बर, 2007 के उस आदेश को कायम रखते हुए, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी के विशेष (कार्य) भत्ता संबंधी दावे को स्वीकार कर लिया गया था, अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई रिट याचिका खारिज कर दी थी ।

2. मामले के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने तारीख 14 दिसम्बर, 1983 के अपने कार्यालय ज्ञापन द्वारा देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सेवारत अधिकारियों को कतिपय फायदे प्रदान करने का विनिश्चय किया था । उन कर्मचारियों/ अधिकारियों को जिन फायदों को देने का विनिश्चय किया गया था, उनमें से एक फायदा पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसी स्टेशन पर उनकी तैनाती होने पर विशेष (कार्य) भत्ता देना था । उक्त फायदे बाद में के. रि. पु. ब. के कर्मचारियों को भी प्रदान किए गए थे । प्रत्यर्थी सं. 2, 3 और 4 को के. रि. पु. ब. में क्रमशः 8 सितम्बर, 1989, 28 जून, 1988 और 11 जून, 1981 को फार्मासिस्ट (भेषजज्ञ) के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें भारत में भिन्न-भिन्न स्थानों पर, जिसके अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र भी है, तैनात किया गया था । भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा तारीख 31 मार्च, 1987 का एक पत्र जारी किया गया था, जिसके अनुसार तारीख 29 अक्तूबर, 1986 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित तारीख 28 दिसम्बर, 1983 के कार्यालय ज्ञापन का फायदा पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात और सेवारत सीमा सुरक्षा बल, के. रि. पु. ब. और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के उन कार्मिकों को दिया जाना है जिनका मुख्यालय उसी क्षेत्र में है । प्रत्यर्थियों ने विशेष (कार्य) भत्ता मंजूर करने के संबंध में एक आवेदन प्रस्तुत किया । प्रत्यर्थी का पक्षकथन यह था कि वह पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात है और वह विशेष (कार्य) भत्ते का हकदार है क्योंकि वह असम में जोरहाट यूनिट में तैनात है । उसके अभ्यावेदन का उत्तर कमांडेंट के कार्यालय के तारीख 15 अप्रैल, 2005 के पत्र द्वारा दिया गया था, जिसमें यह कथन किया गया था कि चूंकि इस कार्मिक का मुख्यालय शिवपुरी/ग्वालियर में है इसलिए वह व्यक्ति विशेष (कार्य) भत्ते का हकदार नहीं है । पुलिस उप-महानिरीक्षक का तारीख 11 जुलाई, 2005 का पत्र कमांडेंट, के. रि. पु. ब. को भेजा गया था, जिसमें यह सूचित किया गया था कि हालांकि महानिदेशक ने अपने तारीख 12 मार्च, 1992 के पत्र द्वारा गृह मंत्रालय को यह प्रस्ताव भेजा है कि विशेष (कार्य) भत्ता ऐसे

सभी बटालियनों को दिया जाना चाहिए जिनके मुख्यालय पूर्वोत्तर क्षेत्र में नहीं हैं किन्तु बटालियन पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात है । इसके आगे यह कथन किया गया था कि गृह मंत्रालय की सहमति अभी प्राप्त नहीं हुई है । भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने तारीख 3 अगस्त, 2005 को इस विषय पर एक आदेश जारी किया था –

"सं. ए-I -3/इंस्ट.-अकाउंट्स-3/पी.एफ.- III
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली
तारीख 3 अगस्त, 2005

कार्यालय ज्ञापन

विषय : पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और संघ-राज्यक्षेत्रों, अंडमान और निकोबार महाद्वीप और लक्षद्वीप में सेवारत केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए भत्ता और सुविधाएं ।"

3. इस आदेश में यह स्पष्ट किया गया था कि यह भत्ता ऐसे कार्मिकों को अनुज्ञेय होगा जो वास्तव में पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्य कर रहे थे । प्रत्यर्थियों ने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष 2006 का मूल आवेदन सं. 778 फाइल किया जिसमें तारीख 14 दिसम्बर, 1983 के आदेश के अनुसार विशेष (कार्य) भत्ता अनुदत्त करने का दावा किया गया । केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने तारीख 5 नवम्बर, 2007 के अपने निर्णय और आदेश द्वारा आवेदकों को उस अवधि के लिए, जिसके दौरान उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र में वास्तव में कार्य किया था, विशेष (कार्य) भत्ता मंजूर करने का निदेश दिया । अपीलार्थी ने, अधिकरण के आदेश के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका फाइल की जो कि तारीख 14 फरवरी, 2008 को खारिज कर दी गई थी, जिस आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील फाइल की गई है ।

4. इस अपील में मुद्दा एक बहुत सीमित मुद्दा है, अर्थात्, क्या प्रत्यर्थी उस अवधि के लिए जिसके दौरान वे पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात थे, पूर्वोत्तर क्षेत्र में उनकी तैनाती की तारीख से या केवल 3 अगस्त, 2005 से जब कि भारत सरकार द्वारा वह कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था जिसके द्वारा के. रि. पु. ब. के कार्मिकों का दावा मंजूर किया गया था, विशेष (कार्य) भत्ता प्राप्त करने के हकदार थे ।

5. अपीलार्थी के विद्वान् काउन्सेल ने यह निवेदन किया कि विशेष (कार्य) भत्ते के लिए प्रत्यर्थियों का दावा इससे पूर्व इसलिए नामंजूर कर दिया गया था चूंकि हालांकि वह पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्य कर रहे थे किन्तु उनके मुख्यालय शिवपुरी/ग्वालियर में थे । उसने यह निवेदन किया कि तारीख 3 अगस्त, 2005 के सरकारी आदेश द्वारा ये फायदे सभी कार्मिकों को प्रदान करने का विनिश्चय किया गया था चाहे उनके मुख्यालय पूर्वोत्तर क्षेत्र में हैं अथवा नहीं । इस प्रकार, उसने यह निवेदन किया कि प्रत्यर्थी केवल तारीख 3 अगस्त, 2005 से ही विशेष (कार्य) भत्ता प्राप्त करने के हकदार थे । अधिकरण और उच्च न्यायालय, दोनों ने प्रत्यर्थियों को उस समस्त अवधि के लिए, जब वे पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात थे, विशेष (कार्य) भत्ते का संदाय करने का निदेश देकर त्रुटि कारित की है । प्रत्यर्थी विशेष (कार्य) भत्ते के लिए पात्र नहीं थे क्योंकि जब वे पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात थे तब उनके मुख्यालय पूर्वोत्तर क्षेत्र के बाहर स्थित थे ।

6. इन निवेदनों का प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउन्सेल द्वारा खंडन किया गया है । यह दलील दी गई है कि विशेष (कार्य) भत्ता उन कार्मिकों को अनुदत्त किया गया था जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में नियोजित थे । इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि प्रत्यर्थी पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात थे । उनके दावे से इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता था कि यद्यपि उनकी बटालियन पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात थी किन्तु उनके मुख्यालय पूर्वोत्तर क्षेत्र से बाहर थे । उसने यह निवेदन किया कि तारीख 3 अगस्त, 2005 का सरकारी आदेश स्पष्टीकारक है जो कि यह स्पष्ट करता है कि ऐसे सभी कार्मिक, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात थे, तारीख 29 मई, 2002 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित तारीख 14 दिसम्बर, 1983 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार फायदों के हकदार थे ।

7. तारीख 3 अगस्त, 2005 का कार्यालय ज्ञापन निम्नलिखित रूप में है :–

"सं. ए-I -3/इंस्ट.-अकाउंट्स-3/पी.एफ.-III
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली
तारीख 3 अगस्त, 2005

कार्यालय ज्ञापन

विषय : पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और संघ-राज्यक्षेत्रों, अंडमान और

निकोबार महाद्वीप और लक्षद्वीप में सेवारत केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए भत्ता और सुविधाएं ।

मुझे इस मंत्रालय के तारीख 31 मार्च, 1987 के पत्र सं. II-27012/31/85-एफ.पी.-II के प्रति निर्देश करने का निदेश हुआ है जिसके द्वारा सी.पी.एफ. के ऐसे कार्मिक जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात थे और जिनका मुख्यालय पूर्वोत्तर क्षेत्र में नहीं है, इस शर्त के कारण विशेष (कार्य) भत्ता प्राप्त नहीं कर रहे थे कि ऐसे कार्मिकों के मुख्यालय भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में होने चाहिएं ।

2. इस मामले की वित्त मंत्रालय के परामर्श से परीक्षा की गई है और यह विनिश्चय किया गया है कि ऐसे सी.पी.एफ. कार्मिकों के दावे पर, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात हैं, वित्त मंत्रालय के तारीख 29 मई, 2002 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11(5) /97-ई-II (बी) के साथ पठित तारीख 14 दिसम्बर, 1983 के कार्यालय ज्ञापन सं. 20014/3/83-ई-IV में अधिकथित मानदंडों के प्रकाश में विचार किया जाए और उसे अनुज्ञात किया जाए । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह भत्ता केवल उन्हीं कार्मिकों को अनुज्ञेय होगा जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में वास्तव में कार्य कर रहे हैं ।

3. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, ई-II (बी) शाखा के तारीख 10 अगस्त, 2005 के यू.ओ. सं. 315/05 और इस मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग की तारीख 3 अगस्त, 2005 की डायरी सं. 748/वित्त.11/05 द्वारा दी गई सहमति से जारी किया जाता है ।

हस्ता./-
(रंजनेश सहाय)
निदेशक (पुलिस वित्त)"

8. इस कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2 से यह उपदर्शित होता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात सी.पी.एफ. के कार्मिकों के दावे को तारीख 29 मई, 2002 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित तारीख 14 दिसम्बर, 1983 के कार्यालय ज्ञापन में अधिकथित मानदंडों के प्रकाश में अनुज्ञात करने का विनिश्चय किया गया था । इसके अलावा, यह स्पष्ट किया गया था कि यह भत्ता केवल उन्हीं कार्मिकों को अनुज्ञेय होगा जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में वास्तव में कार्य कर रहे थे ।

9. प्रश्न यह है कि क्या उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन का फायदा केवल

3 अगस्त, 2005 से दिया जाना है या विशेष (कार्य) भत्ते का फायदा तारीख 14 दिसम्बर, 1983 के कार्यालय ज्ञापन के पश्चात् अनुज्ञेय है, जो कि के. रि. पु. ब. के कार्मिकों को वर्ष 1987 में देने का विनिश्चय किया गया था । मुख्य कार्यालय ज्ञापन जिसके द्वारा विशेष (कार्य) भत्ता अनुदत्त करने का विनिश्चय किया गया था, तारीख 14 दिसम्बर, 1983 का कार्यालय ज्ञापन है । उक्त फायदा अनुदत्त करने का प्रयोजन और उद्देश्य कार्यालय ज्ञापन के आरंभिक पैरा में स्पष्ट किया गया है, जो कि निम्नलिखित रूप में है :–

> "पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जिसमें असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य और अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम संघ-राज्यक्षेत्र शामिल हैं, सेवाओं के सक्षम अधिकारियों को आकर्षित और प्रतिधारित करने की आवश्यकता पर सरकार का समय-समय पर ध्यान जाता रहा है । सरकार ने उस क्षेत्र में सेवारत केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के विभिन्न प्रवर्गों को अनुज्ञेय विद्यमान भत्तों और सुविधाओं का पुनर्विलोकन करने और उपयुक्त सुधारों के संबंध में सुझाव देने के लिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी । सरकार ने समिति की सिफारिशों पर सावधानीपूर्वक विचार कर लिया है और अब राष्ट्रपति निम्नलिखित रूप में विनिश्चित करते हैं..... ।"

10. इसके अलावा, विशेष (कार्य) भत्ता उसी कार्यालय ज्ञापन द्वारा मंजूर किया गया है, जो कि निम्नलिखित रूप में है :–

> "(iii) विशेष (कार्य) भत्ता –
>
> केन्द्रीय सरकार के ऐसे सिविल कर्मचारियों को, जो अखिल-भारतीय स्थानांतरण दायित्व के अधीन हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसी स्टेशन पर तैनात किए जाने पर अधिकतम 400/- रुपए प्रतिमास के अधीन रहते हुए मूल वेतन के 25 प्रतिशत की दर पर विशेष (कार्य) भत्ता दिया जाएगा ।....."

11. उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के परिशीलन से स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित होता है कि विशेष (कार्य) भत्ता देने का मुख्य आधार यह था कि वह व्यक्ति पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात हो । उक्त फायदे पूर्वोत्तर क्षेत्र में सेवारत सक्षम अधिकारियों को आकर्षित करने और उनकी सेवाओं को प्रतिधारित करने के लिए दिए गए थे ।

12. इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि उक्त फायदा के. रि. पु. ब.

के कार्मिकों को भी प्रदान किया गया था । तारीख 14 दिसम्बर, 1983 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा दिया गया फायदा समय-समय पर पुनरीक्षित किया गया था और तारीख 29 अगस्त, 1986 के पुनरीक्षित आदेश तारीख 1 अक्तूबर, 1986 से जारी किए गए थे, जिन आदेशों के फायदे का प्रत्यर्थियों द्वारा अधिकरण के समक्ष फाइल की गई दावा याचिका में दावा किया गया था ।

13. तारीख 15 अप्रैल, 2005 के पत्र (उपाबंध पी. 5) के परिशीलन से यह उपदर्शित होता है कि प्रत्यर्थियों को विशेष (कार्य) भत्ता देने से इनकार करने का एकमात्र कारण यह था कि उनके मुख्यालय शिवपुरी/ ग्वालियर में, अर्थात् पूर्वोत्तर क्षेत्र के बाहर थे हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया गया था कि उनकी तैनाती पूर्वोत्तर क्षेत्र में थी ।

14. जैसी कि ऊपर अवेक्षा की गई है, फायदा अनुदत्त करने का प्रयोजन और उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को पारितोषिक देना है जिन्हें पूर्वोत्तर क्षेत्र में नियुक्त किया जाता है । अधिकरण ने प्रत्यर्थियों को उस अवधि के लिए, जिसमें उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र में वास्तव में कार्य किया है, फायदा अनुदत्त करने का निदेश दिया है । जब विशेष (कार्य) भत्ता अनुदत्त करने का आधार पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनाती था तो हम यह समझने में असमर्थ हैं कि उन प्रत्यर्थियों को, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात थे, विशेष (कार्य) भत्ता देने से इस आधार पर कैसे इनकार किया गया होगा कि उनके मुख्यालय शिवपुरी /ग्वालियर में हैं । यह फायदा पूर्वोत्तर क्षेत्र में उनकी तैनाती से जुड़ा है और इस आधार पर कि उनके मुख्यालय शिवपुरी/ग्वालियर में हैं, उस फायदे से इनकार करने का उनके दावे से कोई संबंध नहीं है । अधिकरण ने उस दावे को मंजूर कर लिया है जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अभिपुष्ट कर दिया गया है ।

15. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले काउन्सेल द्वारा इस बात पर अधिक बल दिया गया है कि तारीख 3 अगस्त, 2005 का आदेश भविष्यलक्षी रूप से ही लागू होता है और यह फायदा केवल 3 अगस्त, 2005 से ही दिया जा सकता था, जिस समय तक कुछ प्रत्यर्थियों को पूर्वोत्तर क्षेत्र से बाहर तैनात कर दिया गया था ।

16. तारीख 3 अगस्त, 2005 के आदेश का परिशीलन करने से यह उपदर्शित नहीं होता है कि उक्त फायदा केवल 3 अगस्त, 2005 के पश्चात् ही आशयित था । इस आदेश के पैरा 2 में "यह स्पष्ट किया जाता है कि यह भत्ता उन्हीं कार्मिकों को अनुज्ञेय होगा जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में वास्तव में कार्य कर रहे हैं" शब्दों का प्रयोग किया गया है । सरकार द्वारा जारी

किया गया आदेश स्पष्टीकारक प्रकृति का था ।

17. हमने पहले ही यह अवेक्षा की है कि तारीख 31 मार्च, 1987 के सरकारी आदेश द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात और सेवारत के. रि. पु. ब. के उन कार्मिकों को विशेष (कार्य) भत्ता प्रदान किया गया था जिनके मुख्यालय भी उसी क्षेत्र में थे । इसका स्पष्ट निष्कर्ष यह था कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात और सेवारत वे कार्मिक जिनके मुख्यालय उस क्षेत्र में नहीं थे, इस फायदे के हकदार नहीं थे । इस प्रश्न पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है कि ऐसे एक वर्ग के कार्मिकों, जो वहां तैनात और सेवारत थे और जिनके मुख्यालय भी वहीं थे और ऐसे कार्मिकों के बीच, जो वहां तैनात और सेवारत थे किन्तु उनके मुख्यालय पूर्वोत्तर क्षेत्र के बाहर थे, फायदा प्रदान करने के लिए किया गया ऐसा वर्गीकरण विधिमान्य है अथवा नहीं तथा वह अनुच्छेद 14 के अधीन विधि के समक्ष समानता की कसौटी पर खरा उतरता है अथवा नहीं ।

18. अनुच्छेद 14 में युक्तियुक्त वर्गीकरण को प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है किन्तु अनुज्ञेय वर्गीकरण की कसौटी पर खरा उतरने के लिए दो शर्तें हैं जो कि समय-समय पर अधिकथित और दोहराई गई हैं । **बुधन चौधरी** बनाम **बिहार राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय के प्रति निर्देश करना उपयोगी है । पैरा 5 में, निम्नलिखित रूप में अधिकथित किया गया है :–

> ".....अब यह सुस्थापित हो चुका है कि जबकि अनुच्छेद 14 में वर्ग विधान को निषिद्ध किया गया है किन्तु इसमें विधान के प्रयोजनों के लिए युक्तियुक्त वर्गीकरण निषिद्ध नहीं है । तथापि, अनुज्ञेय वर्गीकरण की कसौटी पर खरा उतरने के लिए दो शर्तें अवश्य पूरी की जानी चाहिएं, अर्थात्, (i) यह कि वर्गीकरण ऐसे सुग्राह्य अंतर पर आधारित होना चाहिए जिसमें उन व्यक्तियों और वस्तुओं को जिन्हें एक समूह में रखा गया है, उन व्यक्तियों और वस्तुओं से, जिन्हें समूह से बाहर रखा गया है, प्रभेदित किया गया हो तथा (ii) यह कि उस अंतर का, प्रश्नगत कानून द्वारा पूरा किए जाने के लिए ईप्सित उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध होना चाहिए । यह वर्गीकरण भिन्न-भिन्न आधारों पर आधारित हो सकता है, अर्थात्, भौगोलिक या उद्देश्यों या उपजीविकाओं या इसी प्रकार के आधारों पर । जो कुछ आवश्यक है वह यह है कि वर्गीकरण के आधार और विचाराधीन

[1] ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 191.

अधिनियम के उद्देश्य के बीच संबंध होना चाहिए । इस न्यायालय के विनिश्चयों द्वारा यह भी सुस्थापित हो गया है कि अनुच्छेद 14 में न केवल किसी सारवान् विधि द्वारा बल्कि किसी प्रक्रिया विधि द्वारा भी विभेद की निन्दा की गई है ।"

19. अनुच्छेद 14 के संबंध में एक अन्य निर्णय, जिसकी अवेक्षा करना आवश्यक है, **हरकचन्द रतनचन्द बान्थिया और अन्य** बनाम **भारत संघ और अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय का निर्णय है । पैरा 23 में निम्नलिखित रूप में अधिकथित किया गया है :–

"23....जब किसी अधिनियमिति को संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करने वाली कहा गया हो तो सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिनियमिति की अंतर्निहित नीति क्या है और उसका प्रत्याशित उद्देश्य क्या है । जब यह निश्चित हो जाए कि अधिनियम की नीति और उद्देश्य क्या है तो न्यायालय को उसकी विधिमान्यता की परीक्षा करने के लिए दोहरी कसौटी लागू करनी होगी, (1) क्या वर्गीकरण युक्तियुक्त है और वह ऐसे बोधगम्य अंतर पर आधारित है जो उन व्यक्तियों या वस्तुओं की, जिनको एक समूह में रखा गया है, उन व्यक्तियों या वस्तुओं से, जिनको समूहगत नहीं किया गया है, सुभिन्नता दर्शित करता है, और (2) क्या इस अंतर के आधार का अधिनियम की नीति और उद्देश्य से कोई युक्तियुक्त संबंध या संपर्क है । .... "

20. जब हम ऊपर यथा-अधिकथित विनिश्चयाधार को लागू करते हैं तो हम यह पाते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात और सेवारत ऊपर यथा-उल्लिखित दो वर्गों के कर्मचारियों के बीच कोई सुग्राह्य अंतर नहीं है । विधि संबंधी नीति से, जैसा कि तारीख 14 दिसम्बर, 1983 के मूल सरकारी आदेश से स्पष्ट है, यह स्पष्ट होता है कि सरकार, पूर्वोत्तर क्षेत्र में अधिकारियों को प्रोत्साहित और आकर्षित करने तथा उनकी सेवाओं को प्रतिधारित करने के उद्देश्य और प्रयोजन से विशेष (कार्य) भत्ता स्कीम लाई थी । दो प्रवर्गों के कर्मचारियों, अर्थात् (i) जिनके मुख्यालय पूर्वोत्तर क्षेत्र के भीतर हैं और (ii) जिनके मुख्यालय पूर्वोत्तर क्षेत्र के बाहर हैं, के बीच प्रभेद करने से स्पष्टतः यह उपदर्शित होता है कि यह वर्गीकरण किसी सुग्राह्य अंतर पर आधारित नहीं है ।

---

[1] [1970] 2 उम. नि. प. 460 = ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 1453.

21. इसके अलावा, इस अंतर का उस उद्देश्य से कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है जिसे पूरा करने की ईप्सा की गई है । जब प्रयोजन पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्मिकों को प्रोत्साहित और प्रतिधारित करना है तब ऐसे व्यक्तियों को, जो कि यद्यपि पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात और सेवारत हैं तथापि, उनका मुख्यालय पूर्वोत्तर क्षेत्र से बाहर है, विशेष (कार्य) भत्ता प्रदान करने के फायदे से इनकार करने का उस उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है, जिसे पूरा करने की ईप्सा की गई है ।

22. तारीख 31 मार्च, 1987 के सरकारी आदेश में किया गया वर्गीकरण ऊपर उल्लिखित दोहरी कसौटी पर खरा नहीं उतरता है । सरकार ने स्वयं इस गलती को महसूस करते हुए उसमें तारीख 3 अगस्त, 2005 के सरकारी आदेश द्वारा सुधार कर दिया है और उन सभी कार्मिकों को, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात और सेवारत हैं, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि उनके मुख्यालय पूर्वोत्तर क्षेत्र के भीतर हैं या पूर्वोत्तर क्षेत्र के बाहर हैं, विशेष (कार्य) भत्ता अनुज्ञात किया है ।

23. जब कि तारीख 31 मार्च, 1987 के सरकारी आदेश द्वारा यथा-परिकल्पित पूर्ववर्ती वर्गीकरण उन कार्मिकों को, जो कि विशेष (कार्य) भत्ते के हकदार थे, इस आधार पर फायदा देने से इनकार करने के लिए विधिमान्य नहीं है कि सरकार ने केवल 3 अगस्त, 2005 को उसका स्पष्टीकरण किया है, तब वह न तो साम्यापूर्ण होगा और न ही विधि के समक्ष समानता की कसौटी पर खरा उतरेगा ।

24. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जबकि फायदे से इनकार करना विधिमान्य वर्गीकरण की दोहरी कसौटी पर खरा नहीं उतरता था और असांविधानिक था तब इस आधार पर उक्त फायदे से इनकार करना कि सरकार ने अपनी गलती को केवल तारीख 3 अगस्त, 2005 को सुधारा है, इसलिए यह फायदा केवल 3 अगस्त, 2005 से ही दिया जाना चाहिए, तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है ।

25. पूर्वगामी विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए, हमें उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है । परिणामस्वरूप, अपील खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

ग्रो.